संख्या-125/2025/1987/22-2-2024-17(440)/2016

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ताहिर पुत्र श्री अहसान, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-36160/प्रोबे0(2)/238 2022(एम0-14.09.2022), दिनांक 28.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ताहिर पुत्र श्री अहसान, मौ0 मौसम खानी, कस्वा व थाना- किठौर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पुरानी रंजिश होने के कारण मृतक खुर्शीद ने बंदी के दो भाई व मां की हत्या कर दी थी। प्रतिशोध में बदी ने दिनांक 09.02.1989 को अपरान्ह लगभग 04.00 बजे अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रिवाल्वर, कट्टा तथा रायफल से गोली मार कर खुर्शीद सहित 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-241/1989 में भा0द0सं0 की धारा-302/149, 307/149, 449 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2024 तक 22 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 08 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 22.03.2024 तक 78 वर्ष 06 माह 11 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एव जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 26.03.2021 द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश होने के कारण मृतक खुर्शीद ने बंदी के दो भाई व मां की हत्या कर दी गयी थी। प्रतिशोध में बंदी द्वारा दिनांक 09.02.1989 को अपराहन लगभग 04.00 बजे अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रिवाल्वर, कट्टा तथा रायफल से गोली मार कर खुर्शीद सहित 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ताहिर पुत्र श्री अहसान को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ताहिर (बन्दी संख्या-13389) पुत्र श्री अहसान, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-125/2025/1987(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।